


कार्यालय, नगर परिषद् डुमरौव (बक्सर)

पत्रांक:-

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद् डुमरौव

5.5 (JPM)



में,

महालेखाकार (लेखा परीक्षा),
बिहार, पटना।
(स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा)

दिनांक:- वी0, जनवरी 2019

विषय:-

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0- 09 सन् 2013-14 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित समर्पित करने के सम्बंध में।

प्रसंग:-

सं0एल0ए0/एस0एस0-01/श0 स्था0 नि0/14373/ 1329,
दिनांक- 16.09.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के सम्बंध में सादर कहना है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0- 09 सन् 2013-14 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

अतः सादर अनुरोध है कि समर्पित की जा रही अनुपालन प्रतिवेदन के कंडिकाओं को विलोपित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् डुमरौव

ज्ञापांक:- 130

दिनांक- 31.01.2019

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।



नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् डुमरौव

कार्यालय, नगर परिषद् डुमराँव (बक्सर)

पत्रांक:- 130

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद् डुमराँव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा परीक्षा),
बिहार, पटना।
(स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा)

दिनांक:- 31 वी०, जनवरी 2019

विषय:- अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०- 09 सन् 2013-14 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित समर्पित करने के सम्बंध में।

प्रसंग:- सं०एल०ए०/एस०एस०-01/श० स्था० नि०/14373/ 1329,
दिनांक- 16.09.2013


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के सम्बंध में सादर कहना है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०- 09 सन् 2013-14 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

अतः सादर अनुरोध है कि समर्पित की जा रही अनुपालन प्रतिवेदन के कंडिकाओं को विलोपित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन


नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् डुमराँव

कार्यालय, नगर परिषद् डुमराँव।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 09/2013-14


(अवधि 2010-11 से 2011-12 तक) लंबित कंडिकाओं का अनुपालन

कंडिका	आपत्ति	निराकरण
3	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 की सहायक रोकड़ पंजी संधारित है जो अंकेक्षण के वक्त उपस्थापित की गई संधारित पंजी की छाया प्रति संलग्न की जा रही है। कंडिका निरस्त किया जाय।
5	पूर्ववर्ती लेखा प्रतिवेदन	वर्ष 2013-14 तक का अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन भेजा चुका है। लम्बित अनुपालन प्रतिवेदन भेजा चुका है। लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन कर साक्ष्य भेजा जा रहा है। कंडिका निरस्त किया जाय।
6	बजट	वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 का बजट प्राक्कलन तैयार किया गया था जिसका अनुमोदन भी बोर्ड द्वारा स्वीकृत है। छाया प्रति संलग्न की जाती है। कंडिका निरस्त किया जाय।
8	वार्षिक लेखा	वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 का मदवार पंजी संधारित है। वार्षिक लेखा, मासिक लेखा त्रैमासिक लेखा तैयार किया जा रहा है। जो अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। कंडिका निरस्त किया जाय।
10. (क) (i)	अंतशेष	रोकड़ पंजी एवं संबंधित बैंक पास बुक का अंतशेष मिलान कर लिया गया है। जिसकी छाया प्रति संलग्न की जा रही है। कंडिका निरस्त किया जाय।
(ii)	लेखापाल रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं	रख्यं के स्रोतो से प्राप्त राशि कोषागार चलान के माध्यम से जमा कर लेखापाल रोकड़ बही में दर्ज कर लिया गया है। छाया प्रति संलग्न की जा रही है। कंडिका निरस्त किया जाय।
(iii)	सहायक रोकड़ बही का संधारण नहीं किया जाता	सहायक रोकड़ बही का संधारण कर लिया गया है। छाया प्रति संलग्न की जा रही है। कंडिका निरस्त की जाय।
(iv)	असमायोजित राशि- 195000/-	कबीर अंत्येष्टि योजना की संबंधित राशि का भाउचर कल्याण विभाग जमा किया जाता है। इतनी राशि समायोजित है। कैश बुक की छाया प्रति संलग्न की जा रही है। कंडिका निरस्त की जाय।

कंडिका	आपत्ति	निराकरण
10. (ख)	बैंक पास बुक का अंतशेष रोकड़ बही सेकम	बैंक एवं रोकड़ बही में अवशेष में अंतर नहीं है। बैंक एवं रोकड़ बही के अवशेष की छाया प्रति संलग्न की जा रही है। अंतर का आकलन की अंकेक्षण दल द्वारा प्रतिवेदित नहीं किया गया छाया प्रति संलग्न की जा रही है। अगले अंकेक्षण दल द्वारा भी मिलान किया गया है। जो सही है। कंडिका निरस्त किया जाय।
(ग)	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	रोकड़ बही में उस सत्र का सूद नहीं अंकित होने के चलते मिलान नहीं हो पाया केश बुक एवं पास बुक की छाया प्रति संलग्न किया जा रहा है। कंडिका निरस्त की जाय।
11	सरकारी अनुदान	सरकारी अनुदान की राशि लेखापालन पंजी में मदवार दर्ज है। अलग-अलग मदवार पंजी संधारित है। छाया प्रति संलग्न की जा रही है। कंडिका निरस्त किया जाय।
12	लेखा समिति	अंकेक्षण समाया अवधि में लेखा समिति का गठन नहीं था प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। कंडिका निरस्त की जाय।
13. (क)	माँग/वसूली/विवरणी अप्रस्तुत	माँग वसूली विवरणी तैयार कर ली गई है। पंजी की छाया प्रति संलग्न की जा रही है। कंडिका निरस्त की जाय।
(ख)	होल्डिंग का पुनरीक्षण एवं सड़कों का वर्गीकरण नहीं किया जाना	कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।
(ग)	सरकारी भवनों पर बकाया कर वसूली	राशि वसूल हुई है। बकाया राशि वसूली हेतु संबंधित विभाग पर माँग पत्र भेजा गया है। छाया प्रति संलग्न किया जा रहा है। कंडिका निरस्त की जाय।
(घ)	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उप कर सरकारी खाते में जमा नहीं रु0 574588/-	वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होने के चलते राशि सरकारी खाते में नहीं जमा हो पायी इसे स्वयं स्रोत से प्राप्त राशि से जमा करने की कार्रवाई पूरी की जा रही है।
14	राजस्व के स्रोत	
(क)	अजय कुमार राय का 319/- रु0 कम जमा	राशि जमा है। रसीद की छाया प्रति संलग्न की जा रही है।
(ख)	मोइन अहमद का विविध रसीद का 58144 रूपया नहीं जमा	मोइन अहमद की विविध रसीद की रु0 58144 रु0 जमा करा दिया गया है। छाया प्रति संलग्न की जा रही है।
(ग)	मोइन अहमद एवं मुमताज शेख द्वारा 805 रु0 जमा कराने के सम्बंध में।	805 रु0 जमा करा लिया गया है। रसीद की छाया प्रति संलग्न की जा रही है।
(घ)	रसीद सं0 801-900, 1001-1100, 1101-12 एवं 1201 से 1300	उक्त रसीद की राशि जमा है। छाया प्रति संलग्न की जा रही है।

कंडिका	आपत्ति	निराकरण
15	सैरातों की बन्दोबस्ती का एकरारनामा नहीं करने से स्टाम्प शुल्क मद में राजस्व हानि रु0 859	अंकेक्षण समय यह बात नहीं उठायी गयी लंबित कंडिका में यह आपत्ति उठाई गई है। जानकारी के अभाव में स्टाम्प शुल्क नहीं जमा कराया जा सका भविष्य में अनुपालन किया जायेगा। कंडिका निरस्त की जाय।
16	बकाया दूकान किराया राशि 78676/-	बकाया दूकान का किराया वसूल कर लिया गया है। कंडिका निरस्त किया जाय।
18	राज्य योजना एवं बी0आर0जी0एफ0 के अन्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं को निर्धारित समय नहीं किये जाने के कारण क्षतिपूर्ति राशि 5.17 लाख वसूली में	जिन योजनाओं पर समयावधि में पूर्ण नहीं होने की आपत्ति लगायी है उन पथों गलियों में वाद-विवाद अतिक्रमण के कारण काफी परेशानी झेलनी पड़ी आम जनता के कथना अनुसार अतिक्रमण हटने के बाद ही निर्माण कार्य हुआ साथ ही साथ 2010-11 में विधान सभा चुनाव के चलते चुनाव अचार संहिता लागू होने के चलते समय पर सम्पादित नहीं हो पाया। कंडिका निरस्त की जाय।
19	श्रम उपकर की कटौती नहीं राशि रु0 102353/-	इस अवधि में श्रम उपकर की कटौती करने का कोई सरकारी पत्र प्राप्त नहीं था तथा ऐसी जानकारी भी नहीं प्राप्त थी। जानकारी प्राप्त होते ही L.Cess की कटौती शुरू कर दी गई है।
20	सोलर लाईट अधिष्ठापन में अनियमितता	सोलर लाईट अधिष्ठापन में किसी भी प्रकार अनियमितता नहीं की गई है। साक्ष्य कभी भी देखा जा सकता है।
21	जला पूर्ति योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता	विदित हो कि संवेदक द्वारा कराये गये चापाकल अधिष्ठापन के विरुद्ध भूगतान आज की तिथि में भी लम्बित है।
22. (क)	वैट की कटौती नहीं	इनके साथ कोई फार्म C-III जमा करने का एग्रीमेन्ट नहीं था संस्था स्वयं वैट भूगतान करना है।
(ख)	करों की राशि संबंधी शीर्ष में जमा नहीं किया जाना	करों की, की गई कटौती की राशि जमा कर दी गई है।
23	विज्ञापन मद में अनियमितता	जानकारी के अभाव में जन सम्पर्क विभाग में विज्ञापन नहीं दिया गया। अब दिया जा रहा है। कंडिका निरस्त किया जाय।
24	दैनिक मजदूरी पर व्यय 12.82 लाख	कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने एवं सरकार द्वारा नियुक्ति नहीं होने के चलते बाध्य होकर दैनिक मजदूरी पर रखकर सफाई का कार्य कराया जाता है। कंडिका निरस्त किया जाय।
25. (क)	अग्रिम 1.78 लाख	80708 रुपये के समायोजन के पश्चात् 9292.00 का भी समायोजन हो चुका है।

कंडिका	आपत्ति	निराकरण
(ख)	167645 रुपये की राशि समायोजन	167645.00 की राशि का भी समायोजन हो गया है। साक्ष्य हेतु भेजा जा रहा है। कंडिका निरस्त किया जाय।
26	पेंशन की रू0 745788 के ब्यय की गई राशि	सेवा पुस्तिका के आधार पर पेंशन निर्धारित के उपरांत राशि पेंशनधारियों को दी गई है। संबंधित विपत्र साथ में संलग्न कर भेजा जा रहा है। कंडिका निरस्त किया जाय।
27	भविष्य निधि	भविष्य निधि की राशि 6.25% के दर से वेतन विपत्र से ही काट कर उतनी राशि नगर परिषद् मद से मिलाकर बैंक ऑफ इण्डिया के खाता सं0 में जामा की जाती है। विपत्र एवं बैंक खाता की छाया प्रति संलग्न किया जा रहा है। कंडिका निरस्त किया जाय।


 नगर कार्यपालक पदाधिकारी
 नगर परिषद् डुमराँव।